(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption:	Departmental Promotion	Not applicable.
From amongst the regular Dispatch	Committee (for considering	
Rider and Group 'C' employees in	confirmation) consisting of:-	
level 1 in the pay matrix Rs. 18000-		
56900 in the Ministry of External	1. Director in charge of	
Affairs possessing valid driving	Administration- Chairman	
license for driving motor car on the		
basis of a driving test to assess the	2. Deputy Secretary/Under Secretary	
competence to drive motor car failing	(Administration), to be nominated by	
which from officials holding the post	Joint Secretary (in charge of	
of Dispatch Rider on regular basis or	Administration) – Member	
regular Group C employees in level 1		
in the pay matrix Rs. 18000-56900 in	3. Under Secretary, to be nominated	
other Ministries of the Central	by Joint Secretary (in charge of	
Government who possess the	Administration) - Member	
qualifications and experience		
provided for direct recruitment in		
column (7).  Deputation or re-employment for		
Armed Forces Personnel or Ex-		
servicemen:		
The Armed Forces Personnel due to		
retire or retired or who are to be		
transferred to reserve within a period		
of one year and having the requisite		
experience and qualification		
prescribed for direct recruits shall also		
be considered. Such persons would be		
given deputation terms upto the date		
on which they are due for release		
from the Armed Forces; thereafter		
they may be continued on re-		
employment.		
Note 1: The period of deputation		
including the period of deputation in		
another ex-cadre post held		
immediately preceding this		
appointment in the same or some other organisation or department of		
the Central Government shall		
ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age limit for		
appointment by deputation/absorption		
shall be not exceeding 56 years as on		
the closing date of receipt of		
applications.		

[F.No. Q/CAD/798/01/13]
G. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

# श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(रोजगार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र (समूह 'ग') अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के अधीन दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्ववर्ती व्यवसायिक पुनःवास केंद्र) के कार्यालयों में करियर सहायक, क्षेत्र सहायक, आशुलिपिक, अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, सेवा वाहन चालक, कर्मशाला परिचर और बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (समूह 'ग', अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना.— ये नियम इससे उपबाद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता .—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. करियर सहायक (राष्ट्रीय करियर सेवा)	45* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5: (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या

अनुस्तित जन जातियों या अन्य पिछ्डे वर्गों या दिव्यांग जनो या भृतपूर्व भैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है) टिप्पणीः अयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लहाख संघ राज्य क्षेत्र विहास और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई	1	1	1	
या अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या पूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)  टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लहा संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				अनुसूचित जन जातियों
दिव्यांग जनो या भूतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा श्रिथिल की जा सकती है)  टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख जों। (त कि वह अंतिम तारीख जों असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कोर, लहाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				या अन्य पिछड़े वर्गों या
भृतपूर्व सैनिकों या विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)  टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख जो असम, सेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लहाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
विभागीय और सरकारी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है।  टिप्पणीः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, में भोलय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)  टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लहाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहेल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
अभ्यर्थियों के लिए आयु की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)  िटप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तेर स्पीति जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
की उच्च सीमा शिथिल की जा सकती है)  िटप्पणीः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
की जा सकती है)  िटप्पणीः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या				
टिप्पणीः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				की उच्च सीमा शिथिल
टिप्पणीः आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				की जा सकती है)
अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				· ·
लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
आवेदन प्राप्त करने के लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लहाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				लिए निर्णायक तारीख
लिए कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लदाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या				भारत में अभ्यर्थियों से
तारीख होगी। (न िक वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या				आवेदन प्राप्त करने के
तारीख होगी। (न िक वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या				लिए कि वह अंतिम
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				ामजारम, माणपुर,
राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				नागालैंड, त्रिपुरा,
प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				सिक्किम, लद्दाख संघ
स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				राज्य क्षेत्र हिमाचल
स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				प्रदेश के लाहोल और
चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों				
।   कालागावास्त का गद।				
है।)				है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की
			प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताः  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और निःशक्तता अध्ययन में मास्टर्स डिग्री। वांछनीय अहर्ताः सामाजिक कार्य विज्ञान, व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी नियोजन में काम काज का तीन वर्ष का अनुभव।  टिप्पण 1:- अर्हताएं अन्यथा	शैक्षिक अर्हताः नहीं परंतु कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य समाज शास्त्र मनोविज्ञान	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा। 50% सीधे भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर दोनों के हो सकने पर प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा।

सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में		
कारणों के लिए जो लेखबद्ध		
किए जाए सक्षम प्राधिकारी के		
विवेकानुसार शिथिल की जा		
सकती है।		
टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी		
अर्हता (अर्हताएं), कारणों के		
लिए जो लेखबद्ध किए जाए		
सक्षम प्राधिकारी के		
विवेकानुसार अनुसूचित		
जातियों और अनुसूचित		
जनजातियों के अभ्यर्थियों की		
दशा में तब शिथिल की जा		
सकती है जब चयन के किसी		
प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की		
यह राय है कि उनके लिए		
आरक्षित रिक्तियों को भरने के		
लिए अपेक्षित अनुभव रखने		
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों		
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		
की संभावना नहीं है।		

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या	· ·	परिस्थतियों में संघ
प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		लोक सेवा आयोग से
_		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखत होंगे :-	
81100 रु.) में के ऐसे क्षेत्र सहायक		
जिन्होंने संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र	<ol> <li>रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष</li> </ol>	
में उक्त पद पर नियमित आधार पर		
नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की नियमित	2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार)	
सेवा की हो।	संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। - सदस्य	
टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची	3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप	
अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद	निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक	
में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख	प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक	
के संदर्भ में बनाई जाएगी।		
प्रतिनियुक्ति सह आमेलन	प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य	
दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय		
करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या		
राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो		
नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए		
हुए है और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती		
के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं।		
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,		
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,		
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार		
किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार		
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के		

लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत	
केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक	
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया	
3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने	
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. क्षेत्र सहायक	31*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच
,	(2019)	सेवा, समूह 'ग'	4:		(भारत (सरकार द्वारा समय-
	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	(25500-81100 रु.)		समय पर जारी किए आदेशों
	आधार पर परिवर्तन	अनुसचिवीय	,		के अनुसार अनुसूचित
	किया जा सकता है।	, બંગુસા વવાવ 			जातियों या अनुसूचित जन
					जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों
					या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व
					सैनिकों या विभागीय और
					सरकारी कर्मचारियों के
					अभ्यर्थियों के लिए आयु की
					उच्च सीमा शिथिल की जा
					सकती है)
					<b>टिप्पणीः</b> आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					जियबारित करन के लिए   निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए कि वह अंतिम
					तारीख होगी। (न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ
					राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पीति जिले तथा
					चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबाद द्वीप
					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
					लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता :	शैक्षिक अर्हताः हां	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान	आयुः नहीं		पर किसी दिव्यांग जन के लिए अन्य
या सामाजिक विज्ञान में किसी			राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में से
एक विषय के साथ समाज शास्त्र			प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा दोनों के
3 वर्ष की डिग्री।			न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।
			50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर किसी दिव्यांग जन के लिए अन्य
टिप्पणः			राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में से

अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित		प्रतिनियुक्ति सह आमेलन द्वारा।
अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम		
प्राधिकारी के विवेकानुसार		
शिथिल की जा सकती है।		

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900-	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
63200 रु.) में के ऐसे कर्मशाला	1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष	
परिचर जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन	2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित	
के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 8	दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य	
वर्ष की नियमित सेवा की हो।	<ol> <li>स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या -सदस्य उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या</li> </ol>	
टिप्पण:	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या	
प्रोन्नति के लिए अहर्ता सूची	राष्ट्राय व्यवसायक त्राराजा संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या	
अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की		
तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी।		
प्रतिनियुक्ति सह आमेलन		
दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय		
करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या		
राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो		
नियमित आधार पर सदृश पद धारण		
किए हुए है और स्तंभ (7) के अधीन		
सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक		
अहर्ता रखते हैं।		
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय		
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति		
में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति		
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए		
जाने के पात्र नहीं होंगे।		
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत		
केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर		
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है		
साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं		
होगी।		
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त		
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से		
अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आशुलिपिक	21*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच
	(2019)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर-4:		(भारत (सरकार द्वारा
	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	(25500-8110 रु.)		समय-समय पर जारी किए
	आधार पर परिवर्तन	अनुसचिवीय			आदेशों के अनुसार
	किया जा सकता है।				अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जन जातियों या
					अन्य पिछड़े वर्गों या
					दिव्यांग जनों या भूतपूर्व
					सैनिकों या विभागीय और
					सरकारी कर्मचारियों के
					अभ्यर्थियों के लिए आयु की
					उच्च सीमा शिथिल की जा
					सकती है)
					<b>टिप्पणीः</b> आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए कि वह
					अंतिम तारीख होगी। (न
					कि वह अंतिम तारीख जो
					असम, मेघालय,
					अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,
					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
					लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
					हिमाचल प्रदेश के लाहोल
					और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी
					उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप या लक्षद्वीप
					ानकाबाद द्वाप या लक्षद्वाप के अभ्यर्थियों के लिए
					क अम्यायया क लिए   विहित की गई है।)
					ापाहत का गई हा)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता :	शैक्षिक अर्हताः हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय	आयुः <b>नहीं</b>		पर प्रतिनियुक्ति-सह आमेलन
से 12वीं उत्तीर्ण या उसका समतुल्य			द्वारा दोनों के न हो सकने पर
कौशल परीक्षणः			सीधे भर्ती द्वारा।
श्रुति लेख- 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट			
की दर से कौशल परीक्षा कर्मचारी चयन			
आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।			
प्रतिलेखन-			
कम्प्यूटर पर 8000 कार्पस प्रति घंटा की			
गति से 50 मिनट (अंग्रेजी) और 65 मिनट			
(हिंदी) में प्रचालन			
टिप्पणः			
अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की			
दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार			
शिथिल की जा सकती है।			

#### (11)(12)(13)प्रोन्नतिः लागू नहीं होता। समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19900-करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष 63200 रु.) में के ऐसे अवर श्रेणी 2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) लिपिक जिन्होंने संबंधित राष्ट्रीय संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य करियर सेवा केंद्र में उस श्रेणी में 3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या -सदस्य नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या आश्लिपि का कौशल और आवश्यक फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या अर्हता रखते हो। पदधारी के कौशल का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षण दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 'ग' कर्मचारी की प्रोन्नति के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा। टिप्पण: प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी। प्रतिनियुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सीधे भर्तीः	
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अपर श्रेणी	21*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन	लागू नहीं होता
लिपिक	(2019)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर-4:		
	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	(25500-81100		
	आधार पर परिवर्तन	अनुसचिवीय	रु.)		
	किया जा सकता है।	, , , , , , ,			

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
			पर प्रतिनियुक्ति-सह आमेलन
			द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900-	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखत होंगे :-	
प्रोन्नितः वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900-63200 रु.) में के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पणः प्रोन्नित के लिए अर्हता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी। प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.) या इसके समतुल्य में, के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार	` '
जिन्होंने 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर		

बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त	
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	णी	42*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच
लिपिक		(2019)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर-4:		(भारत सरकार द्वारा समय-
		* कार्यभार के	अराजपत्रित,	(19900-63200		समय पर जारी किए आदेशों
		आधार पर परिवर्तन	अराजपात्रत,   सचिवीय	₹.)		के अनुसार अनुसूचित
		किया जा सकता है।	। सायवाय 	,		जातियों या अनुसूचित जन
						जातियों या अन्य पिछड़े
						वर्गों या दिव्यांग जनो या
						भूतपूर्व सैनिकों या
						विभागीय और सरकारी
						कर्मचारियों के अभ्यर्थियों के
						लिए आयु की उच्च सीमा
						शिथिल की जा सकती है)
						<b>टिप्पणीः</b> आयु-सीमा
						अवधारित करने के लिए
						निर्णायक तारीख भारत में
						अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
						करने के लिए कि वह अंतिम
						तारीख होगी। (न कि वह
						अंतिम तारीख जो असम,
						मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
						मिजोरम, मणिपुर,
						नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,
						लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र
						हिमाचल प्रदेश के लाहोल
						और स्पीति जिले तथा
						चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,
						अंडमान और निकोबाद द्वीप
						या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
						लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता :	शैक्षिक अर्हताः हां	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या	आयुः <b>नहीं</b>		हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।
विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण			50% सीधे भर्ती द्वारा।
या उसका समतुल्य			
कौशल परीक्षणः			
अनुज्ञात अवधिः 10 मिनट			
कम्प्यूटर पर टंकण गतिः			
अंग्रेजीः 35 शब्द प्रति मिनट			
(10500 की डिप्रैशन प्रति घंटा			
हिंदीः 30 शब्द प्रति मिनट			
(9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा)			

कौशल परीक्षा कर्मचारी चयन		
आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड		
द्वारा आयोजित की जाएगी।		
टिप्पणः		
अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित		
अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम		
प्राधिकारी के विवेकानुसार		
शिथिल की जा सकती है।		

(11)	(12)	(13)
(11)  प्रोन्नितः वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (18000- 56900 रु.) में के ऐसे बहु कार्य कर्मचारीवृन्द जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ 7 में विहित आवश्यक अहर्ताएं और टंकण कौशल रखते हो। टिप्पण: प्रोन्नित के लिए अर्हता सूची अधिकारियों	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखत होंगे :-  1. रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष  2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य  3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या -सदस्य फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	(13) लागू नहीं होता।
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सेवा यान चालक	21*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच
	(2019)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर-4:	•	(भारत सरकार द्वारा
	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	(19900-63200		समय-समय पर जारी
	आधार पर परिवर्तन	अनुसचिवीय अनुसचिवीय	<del>र</del> .)		किए आदेशों के अनुसार
	किया जा सकता है।	अनुसाचवाय 	,		अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जन जातियों
					या अन्य पिछड़े वर्गों या
					दिव्यांग जनो या भूतपूर्व
					सैनिकों या विभागीय
					और सरकारी कर्मचारियों
					के अभ्यर्थियों के लिए
					आयु की उच्च सीमा
					शिथिल की जा सकती है)
					<b>टिप्पणीः</b> आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत
					में अभ्यर्थियों से आवेदन
					प्राप्त करने के लिए कि
					वह अंतिम तारीख होगी।
					(न कि वह अंतिम तारीख
					जो असम, मेघालय,
					अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर,

		नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, लद्दाख संघ
		राज्य क्षेत्र हिमाचल
		प्रदेश के लाहोल और
		स्पीति जिले तथा चम्बा-
		जिले के पांगी उपखंड,
		अंडमान और निकोबाद
		द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए
		विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अहर्ताः	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से			प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
10वीं या समतुल्य			पर प्रतिनियुक्ति-सह आमेलन
सरकार के प्राधिकारी द्वारा जारी एलएमवी के			द्वारा।
लिए विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखता हो।			
एलमवी चलाने में 5 वर्ष का अनुभव हो।			
टिप्पणः अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं),			
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम			
प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों			
और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की			
दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन			
के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह			
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को			
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन			
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में			
उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता।
दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखत होंगे :-	
करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या	<ol> <li>रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष</li> </ol>	
राज्य सरकारों के अधीन ऐसे कर्मचारी जो	2. उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक	
नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	(रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए	
हुए हैं या और स्तंभ (7) के अधीन सीधी	राष्ट्रीय करियर  सेवा केंद्र। -सदस्य	
भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हैं।	3. स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या	
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,	उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या	
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या -सदस्य	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या	
किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के		
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत		
केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य		
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक		
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद		
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया		
3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने	
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	
सीधे भर्तीः	
विभागीय जांच समिति द्वारा आयोजित	
चालन प्रवीणता परीक्षण पास करने के	
अध्यधीन है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. कर्मशाला	63*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच
परिचर	(2019)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर-4:		(भारत सरकार द्वारा समय-
	* कार्यभार के	अराजपत्रित,	(19900-63200		समय पर जारी किए आदेशों
	आधार पर परिवर्तन	अनुसचिवीय	रु.)		के अनुसार अनुसूचित
	किया जा सकता है।				जातियों या अनुसूचित जन
					जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों
					या दिव्यांग जनो या भूतपूर्व
					सैनिकों या विभागीय और
					सरकारी कर्मचारियों के
					अभ्यर्थियों के लिए आयु की
					उच्च सीमा शिथिल की जा
					सकती है)
					टिप्पणीः आयु-सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त
					करने के लिए कि वह अंतिम
					तारीख होगी। (न कि वह
					अंतिम तारीख जो असम,
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ
					राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पीति जिले तथा
					चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबाद द्वीप
					अडमान आर निकाबाद द्वाप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
					या लक्षद्वाप क अभ्यायया क लिए विहित की गई है।)
					ालए।वाहत का गइ हा)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अहर्ताः	शैक्षिक अर्हताः हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या उसके	आयुः <b>नहीं</b>		सकने पर प्रतिनियुक्ति सह
समतुल्य; और शिल्पी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत			आमेलन द्वारा दोनों के न हो
अनुमोदित व्यवसायों में से किसी एक में राष्ट्रीय			सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।
व्यवसाय प्रमाण-पत्र,			
या			
उन्नय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अनुमोदित व्यवसायों			
में से किसी एक में राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र			
टिप्पणः			
अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम			
प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता।
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (18000-	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
56900 र.) में के ऐसे कार्य कर्मचारीवृन्द जिन्होंने संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और व्यवसायिक परीक्षण पास करने के अध्याधीन हो।  टिप्पणः प्रोन्नति के लिए अहर्ता सूची अधिकारियों द्वारा उनके अपने ग्रेड या पद में विहित अहर्क सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में बनाई जाएगी। प्रितिनयुक्ति सह आमेलन दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनयुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनयुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष     उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र -सदस्य     स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या -सदस्य फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.बहुकर्म	37*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के
कर्मचारीवृंद	(2019)	सेवा, समूह 'ग'	स्तर-1:		बीच
		अराजपत्रित,	(18000-56900		(भारत सरकार द्वारा
	* कार्यभार के	अनुसचिवीय	₹.)		समय-समय पर जारी
	आधार पर परिवर्तन				किए आदेशों के अनुसार
	किया जा सकता है।				अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जन जातियों
					या अन्य पिछड़े वर्गों या
					दिव्यांग जनो या
					भूतपूर्व सैनिकों या

1	T		
			विभागीय और सरकारी
			कर्मचारियों के
			अभ्यर्थियों के लिए आयु
			की उच्च सीमा शिथिल
			की जा सकती है)
			<b>टिप्पणीः</b> आयु-सीमा
			अवधारित करने के
			लिए निर्णायक तारीख
			भारत में अभ्यर्थियों से
			आवेदन प्राप्त करने के
			लिए कि वह अंतिम
			तारीख होगी। (न कि
			वह अंतिम तारीख जो
			असम, मेघालय,
			अरूणाचल प्रदेश,
			मिजोरम, मणिपुर,
			नागालैंड, त्रिपुरा,
			सिक्किम, लद्दाख संघ
			राज्य क्षेत्र हिमाचल
			प्रदेश के लाहोल और
			स्पीति जिले तथा
			चम्बा-जिले के पांगी
			उपखंड, अंडमान और
			निकोबाद द्वीप या
			लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
			के लिए विहित की गई
			है।)
I.	1	l l	· · ·

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति-सह-आमेलन द्वारा
		दोनों के न हो सकने पर सीधे
		भर्ती द्वारा
	\ /	` '

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति सह आमेलन	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार	लागू नहीं होता
दिव्यांग जन के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखत होंगे :-	
करियर सेवा केंद्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक	<ol> <li>रोजगार निदेशक या रोजगार संयुक्त निदेशक -अध्यक्ष</li> <li>उप निदेशक (रोजगार) या सहायक निदेशक (रोजगार) संबंधित दिव्यांग जन के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र। -सदस्य</li> </ol>	
अहर्ता रखते हैं। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	<ol> <li>स्थानीय शिल्पी प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य या -सदस्य उप निदेशक (प्रशिक्षण) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान या फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान</li> </ol>	

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सीधे भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।

> [फा.सं. डीजीई-ए-12018/1/2019-ईई-2 ] नरेन्द्र मोहन गुप्ता, अवर सचिव

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

New Delhi, the 17th July, 2020

- **G.S.R. 108.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Vocational Rehabilitation Centers (Group 'C' Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 2014, except as respects, things done or omitted to be done before such supersession, the President of India hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Career Assistant, Field Assistant, Stenographer, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Service Vehicle Driver, Workshop Attendant and Multi-Tasking Staff in the offices of National Career Service Centre for Differently Abled (Erstwhile Vocational Rehabilitation Centers) under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, namely:-
  - 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the National Career Service Centre for Differently Abled (Group 'C', Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2019.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule Annexed to these rules
  - 3. **Number of the posts, classification and level in Pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
  - 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 5. **Disqualification.**—No person,-
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with person having spouse living; or
    - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
    - shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

NI C	NII C	Classicianian		XX71	A 1:
Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay	Whether	Age-limit for direct
			matrix	selection post	recruits
				or non-	
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Career	45* (2019)	General Central	Level-5 in the	Not applicable	Between 18 and 27
Assistant.	* Subject to	Service, Group	pay matrix		years.
(National	variation	'C', Non-	(Rs.29200-		(Upper age-limit is
Career	depending on	Gazetted, Non-	92300)		relaxable for
Service)	work load	Ministerial			candidates
,					belonging to the
					Scheduled Castes or
					the Scheduled
					Tribes or Other
					Backward Classes
					or Differently Abled
					Persons or Ex-
					Servicemen or
					departmental and
					Government
					Employees in
					accordance with the
					l
					orders issued by the
					•
					India from time to
					time).
					Note: The crucial
					date for determining
					the age-limit shall
					be the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates (and not
					the closing date
					prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu
					and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti
					District and Pangi
					Sub-Division of
					Chamba District of
					Himachal Pradesh,
					Andaman and
					Nicobar Islands and
					Lakshadweep).
					Laksnauweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Essential Qualification:  Master's Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognised University.  Desirable Qualification: Three years working experience in social work, vocational guidance, job placement in disability sector.  Note 1: The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Educational Qualification: No, but must possess at least Degree in Social Work, Sociology, Psychology and Disabilities Studies from a recognised University. Age: No	(9) Two years	Fifty Percent by promotion, failing which by deputation-cum-absorption and Fifty Percent by direct recruitment failing which by deputation-cum-absorption.

In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion Committee	Circumstances in which Union
or deputation / absorption, grades	exists, what is its composition	Public Service Commission is to
from which promotion or deputation /		be consulted in making
absorption is to be made		recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Field Assistant in level 4 in the pay	Committee (for considering	
matrix (Rs. 25500-81100) with five	confirmation) consisting of:-	
years regular service in the grade	1. Director of Employment or Joint Director	
rendered after appointment thereto on	of Employment. – Chairman;	
a regular basis in the concerned	2. Deputy Director (Employment) or	
National Career Service Centre.	Assistant Director (Employment) of	
Note:	National Career Service Centre for	
The eligibility list for promotion shall	Differently Abled concerned. – Member;	
be prepared with reference to the date	3. Principal of the Local Craftsman	
of completion by the officers of the	Training Institute or Deputy Director	
prescribed qualifying service in the	(Training) of Advanced Training Institute	
respective grade or post.	or National Vocational Training Institute or	
Deputation-cum-Absorption:	Foreman Training Institute or Industrial	
From employees of any other	Training Institute. – Member.	
National Career Service Centre for		
Differently Abled or Central		
Government or State Government		

holding analogous post on regular	
basis having similar educational	
qualification as prescribed for direct	
recruits under column (7).	
The departmental officers in the	
feeder category who are in the direct	
line of promotion shall not be eligible	
for consideration for appointment on	
deputation. Similarly, the	
deputationists shall not be eligible for	
consideration for appointment by	
promotion.	
The period of deputation including the	
period of deputation in another Ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment in the	
same or some other organisation or	
department of the Central	
Government shall ordinarily not	
exceed three years.	
The maximum age-limit for	
appointment by deputation shall be	
'not exceeding 56 years' as on the	
closing date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Field Assistant	31* (2019)	General Central	Level-4 in the	Non-selection	Between 18 and 27
	* Subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.		years.
	variation	'C', Non-	25500-81100)		(Upper age-limit is
	depending on	Gazetted, Non-			relaxable for
	work load	Ministerial			candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes or
					the Scheduled
					Tribes or Other
					Backward Classes
					or Differently Abled
					Persons or Ex-
					Servicemen or
					departmental and
					Government
					Employees in
					accordance with the
					instructions or
					orders issued by the
					Government of
					India from time to
					time).
					<b>Note</b> : The crucial
					date for determining
					the age-limit shall
					be the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates (and not
					the closing date
					prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,

		_	Tripura,
		Sikkim,	
		Division of	Jammu
		and Kashmi	r State,
		Lahaul and	l Spiti
		District and	l Pangi
		Sub-Division	n of
		Chamba Dis	strict of
		Himachal I	Pradesh,
		Andaman	and
		Nicobar Isla	nds and
		Lakshadwee	p).
			=

(7)		(8)	(9)	(10)
<b>Essential Qualification:</b>	Educational	Qualification:	Two years	Fifty Percent by
Three years Degree in Social	Yes			promotion, failing which
Sciences with Social Work or	Age: No			by Deputation-cum-
Psychology or Sociology as one				absorption from other
of the subjects.				National Career Service
Note:				Centre for Differently
The Qualifications are relaxable at				Abled failing both by
the discretion of Competent				direct recruitment and
Authority in the case of				Fifty Percent by direct
candidates otherwise well				recruitment failing which
qualified.				by Deputation-cum-
				absorption from other
				National Career Service
				Centre for Differently
				Abled.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Workshop Attendants in level 2 in the pay matrix (Rs. 19900 – 63200) with eight years regular service in the concerned National Career Service Centre for Differently Abled.  Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.  Deputation-cum-Absorption: From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7). The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Director of Employment or Joint Director of Employment — Chairman.  2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. — Member.  3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. — Member.	Not applicable.

The period of deputation including the period of deputation in another Excadre post held immediately
preceding this appointment in the same or some other organisation or
department of the Central Government shall ordinarily not
exceed three years.  The maximum age-limit for appointment by deputation shall be
'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.

	1				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Stenographer	21* (2019)	General Central	Level-4 in the	Non-selection	Between 18 and 27
	* Subject to	Service, Group 'C',	pay matrix (Rs.		years.
	variation	Non-Gazetted,	25500-81100)		(Upper age-limit is
	depending on	Ministerial			relaxable for
	work load				candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes or
					the Scheduled
					Tribes or Other
					Backward Classes
					or Differently Abled
					Persons or Ex-
					Servicemen or
					departmental and
					Government
					Employees in
					accordance with the
					instructions or
					orders issued by the
					Government of
					India from time to
					time).
					Note: The crucial
					date for determining
					the age-limit shall
					be as advertised by
					Staff Selection
					Commission.
					Where recruitment
					is not through Staff
					Selection Selection
					Commission crucial
					date for determining
					the age-limit shall
					be the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates (and not
					the closing date
					prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh

689

Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)}.

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential Qualification:</b>	Educational	Two years	Promotion failing which by
12th Pass or its equivalent from	Qualification: Yes		Deputation-cum-absorption
recognised Board or University,	Age: No		failing both by direct
Skill Test:			recruitment
Dictation-			
10 minutes @80 words per minute.			
The skill test to be conducted by			
Staff Selection Commission.			
Transcription –			
50 minutes (English),			
65 minutes (Hindi) on Computer			
Operation with the speed of 8000			
corpses per hour.			
Note:			
The Qualifications are relaxable at			
the discretion of Competent			
Authority in the case of candidates			
otherwise well qualified.			

#### (11)(12)(13)**Promotion:** C' **Departmental Promotion** Group Not applicable. Lower Division Clerk in level 2 in the **Committee (for considering confirmation)** pay matrix (Rs. 19900 - 63200) with consisting of:eight years regular service in the 1. Director of Employment or Joint Director grade rendered after appointment of Employment. - Chairman; thereto on a regular basis in the Deputy Director (Employment) concerned National Career Service Assistant Director (Employment) of National Centre having essential qualification Career Service Centre for Differently Abled and skill of Stenography. The skill of concerned. Member; the incumbent shall be tested by 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Departmental Promotion Committee constituted for promotion of Group Advanced Training Institute or National 'C' employees in National Career Vocational Training Institute or Foreman Service Centre for Differently Abled. Training Institute or Industrial Training Institute. - Member. Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Deputation-cum-Absorption:** From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7).

The departmental officers in the	
feeder category who are in the direct	
line of promotion shall not be eligible	
for consideration for appointment on	
deputation. Similarly, the	
deputationists shall not be eligible for	
consideration for appointment by	
promotion.	
The period of deputation including the	
period of deputation in another Ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment in the	
same or some other organisation or	
department of the Central	
Government shall ordinarily not	
exceed three years.	
The maximum age-limit for	
appointment by deputation shall be	
'not exceeding 56 years' as on the	
closing date of receipt of application.	
Direct Recruitment:	
Through Staff Selection Commission.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Upper	21* (2019)	General Central	Level-4 in the	Non-selection	Not applicable
Division Clerk	* Subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.		
	variation	'C', Non-	25500-81100)		
	depending on	Gazetted,			
	work load	Ministerial			

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by
			deputation-cum-absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Lower Division Clerk in level 2 in the	Committee (for considering	
pay matrix (Rs.19900-63200) with	confirmation) consisting of:-	
eight years regular service in the	1. Director of Employment or Joint Director	
concerned National Career Service	of Employment. – Chairman;	
Centre for Differently Abled.	2. Deputy Director (Employment) or	
Note:	Assistant Director (Employment) of	
The eligibility list for promotion shall	National Career Service Centre for	
be prepared with reference to the date	Differently Abled concerned. – Member;	
of completion by the officers of the	3. Principal of the Local Craftsman	
prescribed qualifying service in the	Training Institute or Deputy Director	
respective grade or post.	(Training) of Advanced Training Institute	
Deputation-cum-Absorption:	or National Vocational Training Institute or	
From employees of the Central	Foreman Training Institute or Industrial	
Government or State Government-	Training Institute. – Member.	
holding analogous post on regular		
basis or,		
With eight years regular service in the		
grade of Lower Division Clerk in		
level 2 in the pay matrix (Rs.19900-		
63200) or its equivalent.		
The departmental officers in the		
feeder category who are in the direct		
line of promotion shall not be eligible		
for consideration for appointment on		

deputation. Similarly, the	
deputationists shall not be eligible for	
consideration for appointment by	
promotion.	
The period of deputation including the	
period of deputation in another Ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment in the	
same or some other organisation or	
department of the Central	
Government shall ordinarily not	
exceed three years.	
The maximum age-limit for	
appointment by deputation shall be	
'not exceeding 56 years' as on the	
closing date of receipt of application	

	1		T	T	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Lower	42* (2019)	General Central	Level-2 in the	Non-selection	Between 18 and 27
Division Clerk	* Subject to	Service, Group	pay matrix		years.
	variation	'C', Non-	(Rs.19900-		(Upper age-limit is
	depending on	Gazetted,	63200)		relaxable for
	work load	Ministerial			candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes
					or the Scheduled
					Tribes or Other
					Backward Classes
					or Differently
					Abled Persons or
					Ex-Servicemen or
					departmental and
					Government
					Employees in
					accordance with
					the instructions or
					orders issued by
					the Government of
					India from time to
					time).
					Note: The crucial
					date for
					determining the
					age-limit shall be
					as advertised by Staff Selection
					Staff Selection Commission.
					{Where
					recruitment is not
					through Staff
					Selection Starr
					Commission
					crucial date for
					determining the
					age-limit shall be
					the closing date for
					receipt of
					applications from
					candidates (and
					not the closing
					date prescribed for
				l	date prescribed for

		those in Assam, Meghalaya,
		Arunachal
		Pradesh, Mizoram,
		Manipur,
		Nagaland, Tripura,
		Sikkim, Ladakh
		Division of Jammu
		and Kashmir State,
		Lahaul and Spiti
		District and Pangi
		Sub-Division of
		Chamba District of
		Himachal Pradesh,
		Andaman and
		Nicobar Islands
		and
		Lakshadweep)}.

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential Qualification:</b>	<b>Educational Qualification: Yes</b>	Two years	Fifty Percent by promotion
12th Pass or its equivalent from	Age: No		failing which by direct
recognized Board or University,			recruitment and
Skill Test:			Fifty Percent by direct
Time Allowed: 10 minutes.			recruitment.
Computer Typing Speed:			
English : 35 wpm (10500 Key			
Depression Per Hour)			
Hindi : 30 wpm (9000 Key			
Depression Per Hour)			
The Skill Test to be conducted by			
Staff Selection Commission or			
Staff Selection Board.			
Note:			
The Qualifications are relaxable at			
the discretion of Competent			
Authority in the case of candidates			
otherwise well qualified.			

(11)	(12)	(13)
Promotion:  Multi-Tasking Staff in level 1 in the pay matrix (Rs.18000 – 56900) with three years regular service in the concerned National Career Service Centre for Differently Abled and having essential qualifications and skill of typing prescribed in Column (7).  Note:  The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Director of Employment or Joint Director of Employment. — Chairman; 2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. — Member; 3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute. — Member.	(13) Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Service	21* (2019)	General Central	Level-2 in the	Not applicable	Between 18 and 27
Vehicle Driver	* Subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.		years.
	variation	'C', Non-	19900-63200)		(Upper age-limit is
	depending on	Gazetted, Non-	,		relaxable for
	work load	Ministerial			candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes or
					the Scheduled
					Tribes or Other
					Backward Classes
					or Differently Abled
					Persons or Ex-
					Servicemen or
					departmental and
					Government
					Employees in
					accordance with the
					instructions or
					orders issued by the
					Government of
					India from time to
					time).
					Note: The crucial
					date for determining
					the age-limit shall
					be the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates (and not
					the closing date
					prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Ladakh
					Division of Jammu
					and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti
					District and Pangi
					Sub-Division of
					Chamba District of
					Himachal Pradesh,
					Andaman and
					Nicobar Islands and
					Lakshadweep).
	1		l		Laksiiauweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: 10th Pass or its equivalent from a recognized Board or University.	Not applicable	Two years	Deputation-cum-absorption failing which by direct recruitment
Possession of Valid Driving License for Light Motor Vehicle issued by Government Authority.			
Five years' experience in driving Light Motor Vehicle.  Note 1:			
The Qualifications are relaxable at			

the discretion of Competent Authority in the case of candidates	
otherwise well qualified.	
Note 2:	
The qualification(s) regarding	
experience is relaxable at the	
discretion of the Competent	
Authority in the case of the	
candidates belonging to Scheduled	
Castes or Scheduled Tribes, if at	
any stage of selection, Competent	
Authority is of the opinion that	
sufficient number of candidates	
from these communities possessing	
the requisite experience are not	
likely to be available to fill up the	
vacancies reserved for them.	

(11)	(12)	(13)
Deputation-cum-Absorption:	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.
From employees of any other	considering confirmation) consisting of:-	
National Career Service Centre for	1. Director of Employment or Joint Director of	
Differently Abled or Central	Employment. – Chairman;	
Government or State Government	2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director	
holding analogous post on regular	(Employment) of National Career Service Centre for	
basis having similar educational	Differently Abled concerned. – Member;	
qualification as prescribed for direct	3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or	
recruits under column (7).	Deputy Director (Training) of Advanced Training	
The departmental officers in the	Institute or National Vocational Training Institute or	
feeder category who are in the direct	Foreman Training Institute or Industrial Training	
line of promotion shall not be eligible	Institute. – Member.	
for consideration for appointment on		
deputation. Similarly, the		
deputationists shall not be eligible for		
consideration for appointment by		
promotion.		
The period of deputation including the		
period of deputation in another Ex-		
cadre post held immediately		
preceding this appointment in the		
same or some other organisation or		
department of the Central		
Government shall ordinarily not		
exceed three years.		
The maximum age-limit for		
appointment by deputation shall be		
'not exceeding 56 years' as on the		
closing date of receipt of application. <b>Direct Recruitment:</b>		
Subject to passing driving proficiency		
test organized by Departmental		
Screening Committee.		
Screening Commutee.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Workshop	63* (2019)	General Central	Level-2 in the	Non-	Between 18 and 27
Attendant	* Subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.	selection	years.
	variation	'C', Non-	19900 – 63200)		(Upper age-limit is
	depending on	Gazetted, Non-			relaxable for
	work load.	Ministerial			candidates belonging
					to the Scheduled
					Castes or the
					Scheduled Tribes or

		Other Backward
		Classes or Differently
		Abled Persons or Ex-
		Servicemen or
		departmental and
		Government
		Employees in
		accordance with the
		instructions or orders
		issued by the
		Government of India
		from time to time).
		<b>Note</b> : The crucial
		date for determining
		the age-limit shall be
		the closing date for
		receipt of applications
		from candidates (and
		not the closing date
		prescribed for those
		in Assam, Meghalaya,
		Arunachal Pradesh,
		Mizoram, Manipur,
		Nagaland, Tripura,
		Sikkim, Ladakh
		Division of Jammu
		and Kashmir State,
		Lahaul and Spiti
		District and Pangi
		Sub-Division of
		Chamba District of
		Himachal Pradesh,
		Andaman and
		Nicobar Islands and
		Lakshadweep).
		Zanonaa weep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential Qualification:</b>	Educational	Two years	Promotion failing which by
Matriculation or equivalent from a	Qualification: Yes		Deputation-cum-absorption,
Recognized Board; and	Age: No		failing both by direct
National Trade Certificate in one of the trades approved under craft training scheme.  or National Apprenticeship Certificate in one of the trades approved under advanced training scheme.  Note: The Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.			recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable
Multi-Tasking Staff in level 1 in the	(for considering confirmation) consisting of:-	
pay matrix (Rs.18000 - 56900) with	1. Director of Employment or Joint Director of	
three years regular service in the	Employment. – Chairman;	
concerned National Career Service	2. Deputy Director (Employment) or Assistant	
Centre for Differently Abled and	Director (Employment) of National Career Service	
subject to passing of trade tests.	Centre for Differently Abled concerned. – Member;	

#### Note:

The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.

### **Deputation-cum-Absorption:**

From employees of any other National Career Service Centre for Differently Abled or Central Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct recruits under column (7).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including the period of deputation in another Eximmediately cadre post held preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.

3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute.

— Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Multi-Tasking	37* (2019)	General Central	Level-1in the	Not applicable	Between 18 and 27
	, ,			Not applicable	
Staff	* Subject to	Service, Group	pay matrix		years.
	variation	'C', Non-	(Rs.18000 –		(Upper age-limit is
	depending on	Gazetted, Non-	56900)		relaxable for
	work load	Ministerial			candidates
					belonging to the
					Scheduled Castes or
					the Scheduled
					Tribes or Other
					Backward Classes
					or Differently Abled
					Persons or Ex-
					Servicemen or
					departmental and
					Government
					Employees in
					accordance with the
					instructions or
					orders issued by the
					Government of
					India from time to
					time).
					Note: The crucial
					date for determining
					the age-limit shall
				1	the age-mint shall

(11)

(13)

		be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,
		and Kashmir State, Lahaul and Spiti
		District and Pangi Sub-Division of
		Chamba District of Himachal Pradesh,
		Andaman and
		Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7	)		(8)	(9)	(10)
<b>Essential Qua</b>	lification	1:	Not applicable	Two years	Deputation-cum-absorption
Matriculation	or	its			failing which by Direct
equivalent	from	a			Recruitment
Recognized	Board	or			
University					

(12)

()	<b>\</b> /	()
<b>Deputation-cum-Absorption:</b> From employees of any other	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Not applicable.
National Career Service Centre for Differently Abled or Central	1. Director of Employment or Joint Director of Employment. – Chairman;	
Government or State Government holding analogous post on regular basis having similar educational qualification as prescribed for direct	2. Deputy Director (Employment) or Assistant Director (Employment) of National Career Service Centre for Differently Abled concerned. – Member;	
recruits under column (7).  The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	3. Principal of the Local Craftsman Training Institute or Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute or National Vocational Training Institute or Foreman Training Institute or Industrial Training Institute.  — Member.	
The period of deputation including the period of deputation in another Excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
The maximum age-limit for appointment by deputation shall be		

[PART II—SEC. 3(i)]	

[ F. No. DGE-A-12018/1/2019-EE-II ] NARENDRA M. GUPTA, Under Secy.